प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 03.11.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा मोटरसाईकिल से जानवर से टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत टाडा से कालर द्वारा मोटरसाइकिल से जानवर में टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल में 01 महिला (जया मिश्रा पुत्री दिनेश मिश्रा निवासी बारीडीहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिला को परिजनों के साथ इलाज हेतु पीआरवी की सहायता से सीएचसी मलौली पहुँचाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घायल महिला को ईलाज हेतु अस्पताल पहुँचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
*पीआरवी स्टाफ-*मु0 का0 गोरखपुरनाथ यादव, का0 गुफरान अहमद, हो०चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 271 वाहनों से 305,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.11.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 271 वाहनों से 305,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध पटाखों का भण्डारण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 145 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में अवैध पटाखों के निर्माण, भण्डारण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दुबे*** के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी।

दिनाँक 02.11.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 01. हरि गोविन्द पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद निवासी गुलहरिया थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर हाल मुकाम गोला बाजार दक्षिणी राधे गोविन्द के सामने पिज्जा वाली गली थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को उसके घर गोला बाजार दक्षिणी से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से कुल 145 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए। **उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 999/2026 धारा 288 बीएनएस एवं धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।**

अभियुक्त का विवरण-
हरि गोविन्द पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद निवासी गुलहरिया थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर हाल मुकाम गोला बाजार दक्षिणी राधे गोविन्द के सामने पिज्जा वाली गली थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-
01. विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे (कुल वजन 145 किलोग्राम)।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री अमर नाथ यादव, उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 संपूर्णानन्द यादव, का0 अरविन्द तिवारी, का0 सत्येंद्र यादव, का0 विनय सिंह, का0 सत्यम सिंह, का0 गिरजेश उपाध्याय, का0 प्रशांत विक्रम सिंह, का0 विशाल सिंह।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 900 ग्राम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अजय कुमार सिंह*** के नेतृत्व में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अभियुक्त 01. अमिताभ बच्चन पुत्र रामनाथ निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 03.11.2026 को ग्राम रामपुर दक्षिणी स्थित रणजीत बाबा के स्थान के पास 900 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 723/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- 01. अमिताभ बच्चन पुत्र रामनाथ निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी:-

- 900 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 बदरेआलम, का० धर्मेन्द्र यादव, का० शिवम यादव।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 22.400 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 02 एंड्रायड मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दुबे*** के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों नाम पता 01.सईद खान उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 सलाहुद्दीन निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02.रामअवतार पुत्र स्व0 रामतीरथ निवासी चकौरा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को दिनाँक 02.11.2026 को धौरहरा से सरही जाने वाले मार्ग, बेलवनिया के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22.400 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल तथा 02 एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद किए गए।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 995/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

- 01.सईद खान उर्फ बब्लू पुत्र स्व0 सलाहुद्दीन निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- 02.रामअवतार पुत्र स्व0 रामतीरथ निवासी चकौरा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा उन्हें एक व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया था। उक्त व्यक्ति उड़ीसा से गांजा मंगाता है, उसके कहने पर वे दोनों गांजा बिक्री के लिए पीपीगंज ले जा रहे थे, जहां बताए गए व्यक्ति को गांजा बेचकर पैसा लेना था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे दोनों आपस में मित्र हैं तथा गांजे की बिक्री से प्राप्त लाभ से अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

बरामदगी:-

- 22.400 किलोग्राम अवैध गांजा।
- 02 अदद एंड्रायड मोबाईल।
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 संतोष यादव, का0 अमृतेश मिश्रा।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 13,280रू0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संचालित क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना बेलहरकला टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के साथ फेसबुक पर दोस्त बनकर विश्वास में लेकर फ्रॉडर द्वारा गलत ट्रांजेक्शन कराया गया था। आवेदक के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्रॉड खाते में ट्रांसफर हुए ₹1,70,000 /- में से ₹13,280/- की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक मोहम्मद इस्माइल निवासी लोहरसन थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर से दिनांक 30.06.2025 को किसी अज्ञात फ्राडर द्वारा आवेदक के साथ फेसबुक पर दोस्त बनकर विश्वास में लेकर फ्रॉडर द्वारा गलत ट्रांजेक्शन कराया गया था। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराया गया था। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या 33106250070698 पर आवश्यक एवं प्रभावी पैरवी से 1,70,000-/ रुपये में से 13,280-/ रुपये की धनराशि आवेदक को सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीम का विवरण– थानाध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार, उ0नि0 श्री राजेश कुमार यादव प्रभारी साइबर हेल्प डेस्क, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, का0 अजीत यादव, म0का0 अंजली तिवारी।

जनता से अपील-

*संतकबीरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर *1930* पर कॉल करें तथा आधिकारिक वेबसाइट *www.cybercrime.gov.in* पर शिकायत दर्ज कराएं। अपनी OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV एवं बैंक खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सतर्कता बरतें।*

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 600 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महुली *श्री हरेन्द्र पाठक* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता रामजीयावन यादव पुत्र रामनरेश यादव ग्राम फूलुई सेमरौना थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर को 600 ग्राम अवैध गाँजा के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 03.11.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामजीयावन यादव पुत्र रामनरेश यादव निवासी फूलुई सेमरौना थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 450/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 600 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री ध्रुव नारायण यादव, का0 विकास साहनी, का0 सन्नी यादव, का0 सूर्य नारायण गुप्त।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस एवं एसओजी टीम की त्वरित कार्यवाही से लापता हुईं दो मासूम बच्चियां 02 घंटे के भीतर सकुशल बरामद, परिजनों को किया गया सुपुर्द

आज दिनांक 03.11.2026 को समय करीब 17:00 बजे बरदहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर निवासिनी महिला द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि आज समय करीब 12:00 बजे वह अपनी भतीजी को ट्रेन पकड़वाने रेलवे स्टेशन गई थीं। इस दौरान उनकी पुत्री उम्र करीब 05 वर्ष एवं उनकी बहन की पुत्री उम्र करीब 06 वर्ष घर पर खेल रही थीं। समय करीब 14:00 बजे उनकी माता द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि दोनों बच्चियां घर पर नहीं मिल रही हैं। काफी तलाश करने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल सका।

उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा तत्काल संयुक्त रूप से तलाश अभियान प्रारम्भ किया गया। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं अथक प्रयास करते हुए दोनों मासूम बच्चियों को महज 02 घंटे के भीतर सकुशल खोज निकाला गया।

उल्लेखनीय है कि *दोनों बच्चियां बोलने में भी असमर्थ थीं जिसके कारण उनकी पहचान एवं परिजनों तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण था। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक प्रयास करते हुए दोनों बच्चियों को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।*

अपनी बच्चियों को सकुशल वापस पाकर परिजनों ने संतोष व्यक्त करते हुए कोतवाली खलीलाबाद पुलिस एवं एसओजी टीम की तत्परता एवं सराहनीय कार्यवाही के लिए आभार प्रकट किया।

संतकबीरनगर पुलिस — आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प।